



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक: एफ.1(1)()/मअ/स्था/अच.सम./2021/ 46370-403

जयपुर, दिनांक: 18/1/2023

1. समस्त अधिकारी/कर्मचारी,
महिला अधिकारिता, मुख्यालय
2. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता,
जिला

विषय:-समस्त राजसेवकों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज साफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन भरने के संबंध में।

संदर्भ:-प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के क्रम में लेख है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा 01 जनवरी, 2023 की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है। समस्त अधिकारी/कर्मचारी को अपना अचल सम्पत्ति का विवरण 01 जनवरी, 2023 की स्थिति में 31 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से स्वयं के एसएसओ-आईडी से लॉग-इन कर राज-काज साफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन लाईन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

उक्तानुसार जो राजसेवक अपने अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑनलाईन नहीं भरेंगे, उन्हें कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2021 के अनुसार उनको विजिलेंस क्लियरेंस नही दी जायेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जावेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 01 जनवरी, 2023 की स्थिति में 31 जनवरी 2023 तक अचल सम्पत्ति की घोषणा राज-काज साफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उमरोबाकुसान

(पुष्पा सत्यानी)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक: एफ.1(1)()/मअ/स्था/अच.सम./2021/46404-405 जयपुर, दिनांक: 18/1/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करने के लिए।

Signature valid

Digitally signed by Puspita Satyani
Designation: Commissioner
Date: 2023.01.17 11:14:31 IST
Reason: Approved